न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागड़िया
(आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 31/2016

मांगीलाल आयु 80 वर्ष पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2016 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मांगीलाल प्रकरण संख्या 16/2015 अ0 धारा0 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : –

1. श्री मदनसिंह गिल, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी, एडवोकेट – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक :– 20.09.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 05.10.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गोपीचन्द मु0नं0 59/2016 अं0धारा 91 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई । संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– सरकार ने जमीन खसरा नम्बर 824 में से दक्षिण पूर्व कोने की आधा बीघा भूमि लगान का 3 गुणा प्रीमीयम जमा कराने पर कब्जा देने का आदेश पारित किया अपीलान्ट ने सरकार के आदेश के तहत दिनांक 26.07.75 को को जरिये चालान 18.75 पैसे जमा करवाये गिरदावर गिरदावर हल्का ने दिनांक 05.08.64 को कब्जा देकर सुपुदर्गी रिपोर्ट मय नक्शा सुपुर्दगी कर दी। अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 14.04.66 को धारा 91 के तहत पत्रावली संख्या 239/66 खोली गई अपीलान्ट ने पूर्व के काउन्टर बाबत सबूत प्रस्तुत किये जिस पर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 27.07.66 को अपीलान्ट के

विरूद्ध मामला तथ्यहीन मानते हुये विड्रा करने का आदेश पारित किया। उपरोक्त मुकदमो में अपीलार्थी के हक में नामान्तकरण भरने का आदेश था। लेकिन ग्राम पंचायत अपीलान्ट के खिलाफ थी। ग्राम पंचायत ने अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की। पंचायत ने अपने आदेश 10.04.66 को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया। अपीलान्ट ने फैसले के विरूद्ध प्रशासनिक कमेटी उदयपुरवाटी के समक्ष अपील पेश की प्रशासनिक ने ही अपने आदेश दिनांक 06.06.66 को ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की अपील उनवानी मांगीलाल बनाम सरकार न्यायालय श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 08.05.2013 को पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया उक्त प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 09.04.2015 कों प्रकरण संख्या 16/2015 दर्ज कर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2016 के तहत अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुये पुनः बेदखली का निर्णय पारित किया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 26.02.2016 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी भूतर्पूव सैनिक है सरकार ने अपीलार्थी को आवास हेतु भूमि आंवटित की थी। अपीलार्थी अतिक्रमी की परिभाषा में नही आता। अपीलार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की थी पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के साक्ष्य का खण्डन नही किया ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया फिर भी अदालत मातहत पब्लिक डाकुमेन्ट को जानबुझकर नजर अन्दाज करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया जो निरस्त होने के काबिल है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.02.2016 को अपने दस्तावेजात पेश किये थे। अपीलार्थी वृद्ध आदमी है अपीलार्थी के लड़के जालौर व्यापार करते है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 26.02.2016 को की अपीलार्थी को जानकारी नही थी। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमांवे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराया एंव कथन किया कि अपीलार्थी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की अपील उनवानी मांगीलाल बनाम सरकार न्यायालय श्रीमान ने अपने आदेश दिनांक 05.12.2014 को स्वीकार करते हुये तहसीलदार उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 08.05.2013 को पुनः सुनवाई हेतु भिजवाया उक्त प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी ने दिनांक 09.04.2015 कों प्रकरण संख्या 16/2015 दर्ज कर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2016 के तहत अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुये पुनः बेदखली का निर्णय पारित किया। अपीलार्थी वृद्ध आदमी है अपीलार्थी के लड़के जालौर व्यापार करते है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 26.02.2016 को की अपीलार्थी को जानकारी नही थी। अन्त में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय पारित किया जो खारिज होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदण्यपुरवाटी द्वारा अपीलान्ट वाके ग्राम ढाणी डागियान के भूमि ख0न0 479 कुल रकबा 0.39 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में 0.01 है0 पक्का निर्माण करके अतिक्रमी ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अनतर्गत विधिसमत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने पत्रावली एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 26.2.2016 का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण पूर्व में भी इस न्यायालय से रिमाण्ड हुआ है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही ड्रप हो चुकी है। तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा उसी खसरा नंबर पर अतिकर्मी मानकर पुनः अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। अपीलांट का कथन कि वह भूतपूर्व सनिक है और सरकार द्वारा वेलफेयर के अन्तर्गत भूतपूर्व सनिक को आवास हेतु भूमि आवंटित की गई थी,वह उसी पर काबिज है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि अपीलांट परे खसरे पर काबिज है। निर्णय में स्पष्ट नहीं है कि उसने आवटन के अलावा कितने भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण कब से है। इस प्रकरण में रिकार्ड दुरूस्ती का उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां

दावा विचाराधीन होने का अपीलांट ने कथन किया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

उक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार उदयुपरवाटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार उदयपुरवाटी को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड की स्थिति का अवलोकन कर अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः पूर्ण विवेचना के साथ स्पष्ट एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 20.09.2017. को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुंझुनूं